8.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, वकील प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उक्त आराजियात का वाद पत्र मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ... हुक्म ... में
	हेतु पेश किया गया है जिसमे विपक्षीगण द्वारा विभाजन करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, वाद पत्र मे प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है, इसलिए उक्त आराजियात पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित स्थगन आदेश को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया एंव मूल वाद पत्र मे प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है, वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रकरण मे अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण मे जारी दिनांक 16.11.21 को अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	